न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. श्री मदन गोपाल प्रजापत पुत्र श्री मोहनराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- सारणेश्वर रोड, नयावास, सिरोही
(विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- मैसर्स सारणेश्वर प्रोवजन स्टोर, सारणेश्वर रोड़, नयावास, सिरोही

2. श्री लखपतराज गांधी, सुराना वास, हवाला गली, सुमेरपुर, जिला- पाली
(खाद्यकाराबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- मैसर्स गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, सुमेरपुर, जिला- पाली

3. श्री राहुल श्रीवास्तव, (नॉमिनी निर्माता फर्म)
मैसर्स एन.आई.एफ. प्रा.लि., शॉप नं. 19-21, श्याम विहार, सब्जी मण्ड़ी के सामने, रोड़ नं. 14. वी.के.आई.ए जयपुर

4. मैसर्स एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड,
Village- BHARAMPUR, P.O. SHIVRAJPUR, TEHSIL-BILHAUR, Dist.- KANPUR NAGAR
पंजीकृत कार्यालय:- 119, 120, 121 (PART) BLOCK P&T, FAZAL GANJ, KALPI ROAD, KANPUR (U.P.)

प्रकरण संख्या: 21/2017

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री यू.एस. शर्मा, प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 31 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.6.2016 को समय 4.45 पी.एम. पर फर्म सारणेश्वर प्रोविजन स्टोर, सारणेश्वर रोड़, नयावास, सिरोही पर पँहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मदन गोपाल प्रजापत पुत्र श्री मोहनराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- सारणेश्वर रोड़, नयावास, सिरोही है एवं मैसर्स सारणेश्वर प्रोविजन स्टोर पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India Brand), चाय, बिस्कुट आदि का विक्रय

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद Ghee (Namste India Brand) के 20 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से Ghee (Namste India Brand) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) खरीदे एवं उसकी कीमत रुपये 520/- (अक्षरे रुपये पांच सौ बीस) अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं.5ए न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India Brand) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-611 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता मदन गोपाल प्रजापत ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.6.2016 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा विशाल सिंह, वार्ड बॉय के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 16.6.2016 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मदन गोपाल प्रजापत से वास्ते जांच क्रय

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलिक्टर
सिरोही-307001.

किया गया खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India Brand) का नमूना S-611 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता मदन गोपाल प्रजापत को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता मदन गोपाल प्रजापत ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India Brand) का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधियिम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India Brand) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा-52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री यू.एस. शर्मा उपस्थित हुये एवं अभियुक्तगण की ओर से लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत कर परिवाद के पद संख्या 3 से 10 में अंकित तथ्यों का अस्वीकार किया। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये। साथ ही, निर्माता फर्म एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्माता फर्म के नॉमिनी मोहित हसीजा के स्थान पर नवीन नॉमिनी श्री राहुल श्री वास्तव, मैसर्स एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, शॉप नं. 19-21, श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने, रोड् नं. 14, जयपुर को नियुक्त किया जाने बाबत पत्र (जो अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, जयपुर-I को प्रेषित किया गया है) की फोटो प्रति भी जवाब के साथ संलग्न प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 30.7.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान मौखिक बहस लिखित में प्रस्तुत की एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब व लिखित बहस में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या-1 मदन गोपाल प्रजापत एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) का फुटकर विक्रेता है एवं प्रतिवादी संख्या-2 जो कि Ghee (Namste India) का थोक विक्रेता है। प्रतिवादी संख्या-3 मोहित हसीजा निर्माता फर्म एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड का पूर्व नॉमिनी है, जिसके स्थान पर निर्माता

.....पेज चार पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

फर्म एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा श्री राहुल श्रीवास्तव को नॉमिनी नियुक्त किया गया है। प्रतिवादी संख्या-4 मैसर्स एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) की निर्माता कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय शिवराज पुर, कानपुर में है व निर्माता फर्म का शाखा कार्यालय श्याम नगर, जयपुर में है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि मैसर्स एन.आई. एफ. प्रा.लि. द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ घी को ''नमस्ते इण्डिया'' ट्रेडमार्क के साथ घी (नमस्ते हण्डिया) के पैकिंग लेबल पर ''सर्वगुण सम्पन्न'' स्लोगन का प्रयोग दिनांक 01.4.2017 से किया जा रहा है। मैसर्स एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित Ghee (Namste India) में घी की सभी गुणवत्ता मौजूद होकर उत्तम व प्राकृतिक गुणवत्ता का घी है। मैसर्स एन.आई.एफ. प्रा.लि. के पैकिंग लेबल का प्रतिनिधित्व न तो झूठा है ओर न ही गुमराह करने वाला है। नमस्ते हण्डिया घी की गुणवत्ता का लेबल पर अंकित विवरण सही व सत्य है। घी की पैकेजिंग और लेबलिंग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही है। वैज्ञानिक डाटा खाद्य की उक्त रिपोर्ट में गणितीय प्रकार से स्थापित Ghee (Namste India) घी के सभी गुण रखता है तथा प्रतिनिधित्व/गारन्टी उनके पैकिंग सर्वगुण सम्पन्न का सत्यापन करता है। मैसर्स एन. आइर्द.एफ. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित Ghee (Namste India) के नमूने की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 27.6.2016 अनुसार बटायरो-रिफ्रेटोमीटर रीडींग में विश्लेषण का यह वैज्ञानिक डाटा घी में चिकनाई की मात्रा को संकेत करता है, जो निर्धारित स्तर के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सीमायें 40 से 43 तक है, जबकि उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) में इसकी रीडींग 41.86 पाई गई है। Reichet value का वैज्ञानिक डाटा यह संकेत करता है वी.एफ.ए. मनुष्य स्वास्थ्य में विशेष रुप से कोलोनिक मूकोसा के कार्य करने की शक्ति में महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत यह 26.0 से कम नही होना चाहिये, जबकि नमस्ते इण्डिया के घी के नमूनें में यह 32.40 पाई गई है, जो न्यूतमम 26.0 से अधिक है। फ्रीफेटी एसिड (ओलेएक एसिड) घी में फ्री फेटी एसिड की मौजूदगी का अर्थ फ्री (अवाध्य) फेटी एसिड की मात्रा होना है, जबकि चर्बी या तेल घी जब बासी या खट्टा हो जाता है तो अकेले मौजूद चर्बी एसिड होकर अलग उत्पाद का हल्का तीखा खट्टा बनाकर गंध महक पैदा कर देती है, इसका परीक्षण घी के ताजा क्वालिटी का संकेत देता है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत स्तर अनुसार यह अधिकतम 3 प्रतिशत होना चाहिये, जिसके स्थान पर नमस्ते इण्डिया के घी में 0.39 प्रतिशत ही पाया गया है। नमस्ते इण्डिया के घी के नमूनें में नमी की मात्रा अधिकतम 0.5 प्रतिशत के स्थान पर 0.03 प्रतिशत पाई गई है। इसी तरह, बोदोएन टेस्ट जो कि घी में तेल के तेल की मौजूदगी की ओर संकेत करती है। भारत में वनस्पति में विधिक रुप से तिल का तेल होता है, इससे वनस्पति के साथ घी का मिश्रण ज्ञात किया जाता है, यह शून्य का संकेत करता है कि घी वनस्पति के मिश्रित नही है। खनिज पदार्थ हेतु टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो घी में खनिज पदार्थ ऑयल या खनिज पदार्थ आयल उत्पादन में मिश्रण करके ज्ञात किया जाता है, यह टेस्ट शून्य होने के कारण किसी भी प्रकार के मिश्रण की ओर संकेत नही करता है। रंग मिलाने का

.....पेज पांच पर

पति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

टेस्ट- यह परीक्षण घी के कलर देने के लिये वृद्धि की जाये तो वह उसे बनावटी बना देती है, लेकिन इसमें किये परीक्षण की अनुपस्थिति में यह प्राकृतिक क्वॉलिटी का असली घी है। इस प्रकार, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 27.6.2016 से यह स्पष्ट है कि मैसर्स एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित Ghee (Namste India) उत्तम एवं प्राकृतिक गुणवत्ता का घी है, जिसमें घी के सभी प्राकृतिक गुण मौजूद है और यह घी ''सर्वगुण संपन्न'' होने की वैज्ञानिक व कानूनी न्यायपूर्ण रुप से गारन्टी देता है। निर्माता फर्म एन.आई.एफ. प्रा.लि. द्वारा निर्मित घी नमस्ते इण्डिया की पैकेजिंग लेबल पर कोई भ्रामक सूचना अंकित नही की है, बल्कि उक्त घी में घी के सभी गुण मौजूद होकर घी उत्तम एवं प्राकृति गुणवत्ता से भरपूर है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट नमस्ते इण्डिया के घी को मिथ्याछाप साबित नही करती है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा परिवाद के साथ ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह साबित होता हो कि नमस्ते इण्डिया के घी में घी के सभी प्राकृतिक गुण मौजूद नही हो तथा न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) और 3(1)(zf)(B)(ii) के अर्न्तगत नमस्ते इण्डिया के घी को मिथ्या छाप साबित करती हो। पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि जो निर्माणकर्ता का सर्वगुण संपन्न के पैकजिंग को झूठा या भ्रामक बता सके। प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में प्रदत्त प्रावधानों का पालन नही किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(1)(ए) एवं सपठित नियम 2.4.1(4) का उल्लंघन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या-1 मदन गोपाल प्रजापत की दुकान से नमूना लेकर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को प्रेषित किया है, जबकि नियमानुसार नमूना लिये गये घी के उत्पादक मैसर्स एन.आई.एफ. प्रा.लि. को भी सूचित किया जाना आवश्यक था जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नही किया गया है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि मैसर्स एन.आई.एफ. प्रा.लि. द्वारा निर्मित Ghee (Namste India) के पैकेजिंग लेबल पर अंकित ''सर्वगुण संपन्न'' स्लोगन को मिथ्याछाप होना बताते हुए उक्त समान आरोप के संबंध में पूर्व में भी इसी तरह के प्रकरण अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णय अधिकारी, बाडमेर/भरतपुर/अलवर/जोधपुर के न्यायालय में दर्ज हुये थे, जिनमें बाद सुनवाई पारित निर्णयानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवादों को खारिज किया गया था। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णय अधिकारी, बाडमेर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2013 में बाद सुनवाई पक्षकारान पारित निर्णय दिनांक 19.6.2014 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के परिवाद को खारिज किया गया था। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णय अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04.6.2015 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के परिवाद को खारिज किया

.....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

गया था। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णय अधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 40/2013 में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2014 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के परिवाद को खारिज किया गया तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णय अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2015 में पारित निर्णय दिनांक 31.5.2016 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के परिवाद को खारिज किया गया। उक्त चारों निर्णयों की प्रतियां जवाब के साथ संलग्न प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मैसर्स एन.आई.एफ.प्रा.लि. द्वारा निर्मित घी (नमस्ते इण्डिया) में घी के सभी प्राकृतिक गुण मौजूद है व सर्वगुण संपन्न है एवं मैसर्स एन.आई.एफ.प्रा.लि. द्वारा निर्मित घी (नमस्ते इण्डिया) के पैकेजिंग लेबल पर कोई मिथ्याछाप या भ्रामक सूचना अंकित नही है तथा न ही उक्त घी मिथ्याछाप है, इसलिये आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के परिवाद को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक, अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.6.2016 को 4.45 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स सारणेश्वर प्रोविजन स्टोर, सारणेश्वर रोड़, नयावास, सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म मैसर्स सारणेश्वर प्रोविजन स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मदन गोपाल प्रजापत पुत्र श्री मोहनराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- सारणेश्वर रोड़, नयावास, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India), चाय, बिस्कुट आदि का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म मैसर्स सारणेश्वर प्रोविजन स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता मदन गोपाल प्रजापत को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा उक्त दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) के 20 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) में खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 520/- (अक्षरे रुपये पांच सौ बीस मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता मदन गोपाल प्रजापत व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-611, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता मदन गोपाल प्रजापत

....पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) के चारों खरीद शुदा नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-611 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता मदन गोपाल प्रजापत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता मदन गोपाल प्रजापत व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता मदन गोपाल प्रजापत से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.6.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के द्वारा वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 16.6.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) का नमूना संख्या S-611 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./734/Act/2016/756 दिनांक 27.6.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स सारणेश्वर प्रोविजन स्टोर, सारणेश्वर रोड, नयावास, सिरोही, जिला- सिरोही पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता मदन गोपाल प्रजापत से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) एवं 3(1)(zf)(B)(ii) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य

....पेज आठ पर

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001

विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 27.6.2016 के अनुसार A statement/slogan "सर्वगुण संपन्न देसी घी" given on label of sample is misleading and create an erroneous impression. (Contravention of Regulation No. 2.2.1(3) and 2.3.1(5) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.2.1(3) के अनुसार पूर्व-पैक किये गये खाद्य को किसी लेबल पर या ऐसी किसी अन्य रीति में वर्णित या प्रस्तुत नही किया जायेगा जो मिथ्या, भ्रामक या कपटपूर्ण है या इससे इसकी प्रकृति के बारे में किसी प्रकार से गलत प्रभाव पैदा होने की संभावना है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.3.1(5) के अनुसार लेबलों पर मिथ्या या भ्रामक कथन नही होंगे: लेबल पर कोई ऐसा कथन, दावा, डिजाइन, युक्ति, फैसी नाम या संक्षेपाक्षर नही होगा जो पैकेज में अंतर्विष्ट खाद्य से संबंधित या उक्त खाद्य की ,मात्रा या उसके पोषक मूल्य या उसके उद्भव के स्थान के संदर्भ में मिथ्या या भ्रामक है: परंतु यह विनियम बार्ले, शर्करा बुल्स आई, क्रीम क्रेकर जेसी कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और मिठाईयों के स्थापित कारबार या फैसी नामों के संबंध में या अंतराष्ट्रीय व्यापार पद्धति में विद्यमान जिंजर बीयर या गोल्ड स्पाट जैसे या अन्य नाम के बातिल जल के संबंध में लागू नही होगा।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) की निर्माता फर्म एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) के पैकेजिंग लेबल पर "सर्वगुण संपन्न देसी घी" statement/slogan अंकित करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.2.1(3) व विनियम संख्या 2.3.1(5) का स्पष्ट रुप से उल्लंघन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता मदन गोपाल प्रजापत, सारणेश्वर रोड, नयावास, सिरोही, जिला- सिरोही को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक: एफएसएसए/2016/3674-75 दिनांक 11.7.2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त पत्र की एक प्रति निर्माता फर्म एन.आई.एम. प्रा.लि., बहरामपुर, पोस्ट ऑफिस- शिवराजनगर, तहसील- बिल्हौर, जिला- कानपुर को भी प्रेषित की गई है।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि प्रतिवादी मदन गोपाल प्रजापत की फर्म सारणेश्वर प्रोविजन स्टोर ने उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) के 500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटो को बिल नम्बर 00883 दिनांक 12.4.2016

....पेज नौ पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

के द्वारा मैसर्स गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, सुमेरपुर से क्रय किया है, जो कि प्रतिवादी संख्या- 2 की फर्म है। प्रतिवादी संख्या- 2 की फर्म गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, सुमेरपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) के 500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को निर्माता फर्म एन.आई.एफ. प्रा.लि., शॉप नं. 19-21, श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने, रोड नं. 14, विश्वकर्मा, जयपुर से टेक्स इनवोईस नम्बर PSI/4010/1516/000624 दिनांक 14.3.2016 के द्वारा क्रय किया गया है। इससे, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, प्रकरण में मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Ghee (Namste India) के निर्माण व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड दोषी पाई जाती है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में अभियुक्त संख्या 1 व 2 को आरोप मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत निर्माता फर्म मैसर्स एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, Village- BHARAMPUR, P.O. SHIVRAJPUR, TEHSIL-BILHAUR, Dist.- KANPUR NAGAR, पंजीकृत कार्यालय:- 119, 120, 121 (PART) BLOCK P&T, FAZAL GANJ, KALPI ROAD, KANPUR (U.P.) पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। निर्माता फर्म मैसर्स एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, Village- BHARAMPUR, P.O. SHIVRAJPUR, TEHSIL-BILHAUR, Dist.- KANPUR NAGAR के नॉमिनी श्री राहुल श्रीवास्वत, मैसर्स एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, शॉप नं. 19-21, श्याम विहार, सब्जी मण्डी के सामने, वी.के.आई., जयपुर को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म मैसर्स एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, Village- BHARAMPUR, P.O. SHIVRAJPUR, TEHSIL-BILHAUR, Dist.- KANPUR NAGAR, पंजीकृत कार्यालय:- 119, 120, 121 (PART) BLOCK P&T, FAZAL GANJ, KALPI ROAD, KANPUR (U.P.) पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही